दूरभाषः 05278-245957
फैक्सः 05278-248123

# डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद (उ0प्र0)

पत्रांकः लो0अ0वि0/सम्ब0/2017/5327 दिनांकः 01-12-2017

सेवा में,

प्रबन्धक/पाचार्य,
सम्बद्ध समस्त स्ववित्त पोषित महाविद्यालय,
डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।

विषयः विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों/नवीन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों की शैक्षिक सत्र 2018-19 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया सूच्य है कि शासनादेश संख्या 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002 दिनॉक 27 सितम्बर, 2002 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित पूर्व से संचालित महाविद्यालयों/नवीन महाविद्यालयों में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिन्हें अभी तक स्थायी सम्बद्धता प्राप्त नही है को स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निम्नांकित मानक निर्धारित हैं:-

1. महाविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित समस्त अवस्थापना एवं शैक्षिक मानकों की पूर्ति कर लेने का निम्नांकित प्रारूप के अनुसार समुचित प्रमाण हो-

| संचालित पाठ्यक्रम/विषय का नाम | उपलब्ध व्याख्यान कक्षों की संख्या | प्रत्येक प्रायोगिक विषयों हेतु प्रयोगशालाओं की संख्या | उपलब्ध पुस्तकालय कक्ष की संख्या | प्राचार्य कक्ष/कार्यालय कक्ष/परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष तथा लेखा कक्ष की संख्या | अध्यापक कक्ष एवं छात्रा कक्ष की संख्या | शौचालय (छात्र/छात्रा हेतु प्रथक-प्रथक) की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2. विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से न्यून न रहा हो।
3. निर्धारित योग्यता धारक प्राचार्य तथा समस्त शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रियानुसार कर दी गयी हो तथा यथावश्यक नियुक्ति पर कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।
4. अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन भुगतान किया जा रहा हो, से सम्बन्धित प्रमाण स्वरूप सम्बन्धित शिक्षकों के वेतन भुगतान/आहरण से सम्बन्धित शिक्षकों की पासबुक की अद्यतन प्रमाणित छायाप्रति।
5. संस्था का पंजीकरण अद्यावधिक विधिमान्य हो।
6. प्रबन्ध तंत्र में किसी प्रकार कर विवाद न हो तथा प्रबन्ध तंत्र के विश्वविद्यालय से अनुमोदित होने का प्रमाण हो।
7. सामूहिक नकल का कोई आरोप न हो।

उपर्युक्त मानको के अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा AISHE का DCF-II अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ऐसे समस्त महाविद्यालय जिनके द्वारा विगत सत्रों में सम्बद्धता (स्थायी) हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है तथा निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के अनुरूप सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जानी थी, परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कतिपय मानकों/शर्तों के पूर्ण न होने अथवा अन्य कारणों से सम्बद्धता प्रदान नही की जा सकी थी परन्तु वर्षानुवर्ष सम्बद्धता विस्तरण प्रदान किया गया है, ऐसे समस्त महाविद्यालयों को कुलपति जी के आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि रू0 100/- के नान जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर सम्बद्धता (स्थायी) के उपर्युक्त मानकों/शर्तों के पूर्ण कर लिए जाने का प्रबन्धक का फोटोयुक्त शपथ पत्र प्रत्येक दशा में 15 जनवरी, 2018 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिससे कि उपर्युक्त मानकों/शर्तों के पूर्ण कर लिए जाने के सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कराया जा सके।

यह भी सूच्य है कि जिन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों की सम्बद्धता (स्थायी) शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए निरीक्षण मण्डल का गठन किया जाना है, ऐसे समस्त महाविद्यालयों से यह अपेक्षित है कि वे शासनादेश संख्याः 710/सत्तर-2/2014-16 (165)/2012 टी0सी0 दिनॉक 14 नवम्बर, 2014 द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार 20 मार्च, 2018 तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सम्बद्धता हेतु आनलाइन आवेदन किये जाने सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण/प्रकिया विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.rmlaufzd.in पर उपलब्ध है।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी कुलपति कार्यालय को कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रोग्रामर ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को कालेज लॉग-इन पर तथा विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(संजय कुमार)
कुलसचिव